



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

क्र.

3529/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2025

दिनांक 11.12.25

## आदेश

प्रति,

कुलसचिव,  
मामा विश्वविद्यालय  
भोपाल (म.प्र.)

विषय— शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.11.2025 में की गयी अनुशांसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 198वीं सभा बैठक दिनांक 02.12.2025 में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty Of Bhabha University Business School	BBA	20,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
2		MBA	55,000.00	37,825.00	6,675.00	44,500.00
3		PHD	150,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
4	Faculty Of Bhabha University Engineering	Diploma Engineering	44,000.00	27,625.00	4,875.00	32,500.00
5		B TECH	59,000.00	39,950.00	7,050.00	47,000.00
6		M TECH	71,500.00	51,850.00	9,150.00	61,000.00
7		PHD	150,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00

//02//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-28 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

8	Faculty Of Bhabha University Pharmacy	DPH	120,000.00	46,750.00	8,250.00	55,000.00
9		BPH	85,000.00	46,920.00	8,280.00	55,200.00
10		MPH	85,000.00	66,300.00	11,700.00	78,000.00
11		PHD	150,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
12	Faculty Of Bhabha University Computer Application	DCA	11,000.00	7,650.00	1,350.00	9,000.00
13		PGDCA	16,500.00	12,750.00	2,250.00	15,000.00
14		BCA	19,000.00	16,150.00	2,850.00	19,000.00
15		MCA	32,000.00	27,200.00	4,800.00	32,000.00
16		PHD	150,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
17	Faculty Of Bhabha University Commerce	B.COM	20,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
18		M.COM	30,000.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00
19		PHD	150,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
20	Faculty Of Bhabha University School Of Arts	BA	11,000.00	9,350.00	1,650.00	11,000.00
21		MA	16,500.00	12,325.00	2,175.00	14,500.00
22		PHD	150,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
23	Faculty Of Bhabha University School Of Science	B.Sc	16,500.00	14,025.00	2,475.00	16,500.00
24		M.Sc	22,000.00	15,980.00	2,820.00	18,800.00
25		PHD	150,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
26	Faculty Of Bhabha University School Of Agriculture	Diploma Agriculture	36,400.00	30,940.00	5,460.00	36,400.00
27		B.Sc Agriculture	66,000.00	47,175.00	8,325.00	55,500.00
28	Faculty Of Bhabha University School Of Education	D.Ed.	50,000.00	32,300.00	5,700.00	38,000.00
29		B.Ed	75,000.00	40,800.00	7,200.00	48,000.00
30		M.ED	50,000.00	42,500.00	7,500.00	50,000.00
31		B.Sc B.Ed	50,000.00	22,100.00	3,900.00	26,000.00
32		PHD	150,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
33	Faculty Of Bhabha University School Of Library	B.LIB	25,000.00	21,250.00	3,750.00	25,000.00
34		M.LIB	30,000.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00
35		PHD	150,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
36	Faculty Of Bhabha University School Of Hotel Management	BHMCT	57,600.00	48,960.00	8,640.00	57,600.00
37	Faculty Of Bhabha University School Of Dental	BDS	198,000.00	168,300.00	29,700.00	198,000.00
38		MDS	592,500.00	459,425.00	81,075.00	540,500.00

//03//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

39	Faculty Of Bhabha University School Of Law	LLB	38,000.00	32,300.00	5,700.00	38,000.00
40	Faculty Of Bhabha University School Of Law	BA LLB	38,000.00	22,100.00	3,900.00	26,000.00
41	Faculty Of Bhabha University School Of Nursing	B.Sc NURSING	100,000.00	61,625.00	10,875.00	72,500.00
42	Faculty Of Bhabha University Paramedical	DMLT	29,400.00	24,990.00	4,410.00	29,400.00
43	Faculty Of Bhabha University Paramedical	BMLT	35,000.00	29,750.00	5,250.00	35,000.00

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म. प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।

//04//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2025-26 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. देवेन्द्र सिंह गुर्जर)

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

*Am*

पृ. क्रमांक 3570 / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ / 2025  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 11/12/25

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

(डॉ. देवेन्द्र सिंह गुर्जर)  
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

*Am*